

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में तीन दिन से लगी आग बायोपार्क व आबादी की ओर बढ़ी

सज्जनगढ़ सैंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की एंट्री बंद, मकान खाली करवाए

उदयपुर, (निर्स)। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पिछले तीन दिन से लगी आग ने गुरुवार सुबह विकराल रूप धारण कर लिया। हवा तेज चलने के कारण आग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई। आग फैलने की सूचना के बाद उदयपुर से दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई फेरे करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, वन विभाग और दमकल कर्मचारी मौके पर डटे हुए हैं।

कलेक्टर नमित मेहता के अनुसार दो दिन से आग को कंट्रोल कर लिया गया था। सुबह तेज हवा की वजह से आग फैलती गई। सज्जनगढ़ अभयारण्य के बैंक साइड एरिया में पहाड़ी पर लगी आग पर गुरुवार को भी काबू नहीं पाया जा सका है। 100 से ज्यादा वनकर्म, सभी फायर स्टेशनों के दमकलकर्मी सहित करीब 22 फायर ब्रिगेड और 40 पुलिसकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग ने अभयारण्य और आसपास के करीब सात हेक्टेयर वन क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। हवा के साथ आग डायरेक्शन बदल रही है, जिससे आग अभयारण्य के पिछले हिस्से से बायोलॉजिकल पार्क और आबादी बस्ती की ओर बढ़ रही है जिसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। सभी प्रयासों के जरिए आग को बायोलॉजिकल पार्क

की बाड़ेंडी से पहले ही रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियातन सज्जनगढ़ अभयारण्य की बाड़ेंडी से नजदीक 4.5 कच्चे पक्के घरों को खाली करवाया गया है।

डीएफओ सुनील सिंह ने बताया कि सुबह दस बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली। उस समय मानसून पेलेंस और बायोलॉजिकल पार्क में लगभग 50 पर्यटक मौजूद थे। सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले टिकट खिड़की को बंद करवाया गया। इसके बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला और पार्क की एंट्री बंद कर दी गई। अभयारण्य में फैलती आग की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को सांसद मन्नालाल रावत, कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, वन संरक्षक सुनील, डीएफओ मुकेश सैनी, अजय चितौड़ा, पुलिस एडिशनल एसपी, डीएसपी, 5 थानों के एसएचओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आग हवा के साथ डायरेक्शन बदल रही है, यह बड़ी चुनौती है। लगातार आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। वनकर्म मैनुअल तरीके से फायरबीटर के जरिए आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं, वहीं फायरकर्म पानी और स्प्रे कर आग बुझा रहे हैं। काफी हिस्से में लगी आग पर काबू पाया जा चुका है। आग पास

- हवा तेज चलने के कारण आग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली, सूचना के बाद उदयपुर से दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची
- वनकर्म मैनुअल तरीके से फायरबीटर के जरिए आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं, वहीं फायरकर्म पानी और स्प्रे कर आग बुझा रहे हैं
- सांसद मन्नालाल रावत ने आग नियंत्रित करने हेतु कोर्ट के लिए सीएमओ फोन किया, पहाड़ी पर टांके व रास्ते बनाने का सुझाव दिया

को आबादी बस्ती या बायोलॉजिकल पार्क की तरफ नहीं बढ़े इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। बायोलॉजिकल पार्क की बाड़ेंडी के पास आग पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की वनकर्म हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से आग को बायोलॉजिकल पार्क की बाड़ेंडी को पार न करने दिया जाए। बायोलॉजिकल पार्क में शेर, टाइगर, पैंथर सहित 60 से अधिक प्रजाति के वन्यजीव हैं।

जनकारी के अनुसार जहां आग लगी उससे लगता हुआ आबादी क्षेत्र है प्रशासन ने 6 घरों को खाली कराया है और उन घरों से गैस सिलेंडर को बाहर निकलवाया है। आग की सूचना के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई है। प्रशासन ने मवेशियों को भी बाहर

चिंताजनक है। सांसद रावत सुबह सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर आग लगने की सूचना मिलने पर मौके के लिए रवाना हुए। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता व वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लेने के बाद सांसद रावत ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने का प्रशासन को सुझाव दिया। सांसद ने हेलीकॉप्टर व्यवस्था के लिए मौके से ही सीएमओ को भी फोन किया। अधिकारियों से चर्चा के बाद सांसद रावत ने कहा कि बार-बार होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग को जगह-जगह टांके का निर्माण करना चाहिए और साथ ही फव्वारा प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि आग लगने की सूचना पर तत्कालीन मशीनरी काम कर सके। उन्होंने चिंता जताई कि आग लगती है तब पहाड़ी पर जाने के लिए रास्ते तक नहीं होते। ऐसे में आग बुझाने में काफी वक्त लग जाता है। वन विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि पहाड़ी पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का भी निर्माण करें जिससे ऐसी आपातकालीन घटनाओं के वक्त तुरंत काम किया जा सके। सांसद रावत ने आग बढ़े नहीं इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए।

उड़ीसा से लाया जा रहा एक करोड़ का अवैध गांजा पकड़ा, दो गिरफ्तार

पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को जब्त किया

रूपवास/भरतपुर, (निर्स)। गहनौली थाना पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये की कीमत का अवैध मादक पदार्थ गांजा पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों मामलाल व नितेश को गिरफ्तार किया



गहनौली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो जनों को गिरफ्तार किया।

■ कंटेनर के अंदर 40 कट्टों में 300 प्लास्टिक की थैलियों में टैप से पैकिंग 600 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला

कि गहनौली थाना पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने घोलपुर की तरफ से आ रहे एक बांडी ट्रक कंटेनर को रोकने का इशारा किया तो चालक नाकाबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस की टीम ने रोक लिया और ट्रक के चालक एवं

परिचालक का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम चालक ने अपना नाम सुवालाल व परिचालक ने अपना नाम नितेश निवासी कोथल कोटपुतली बहरोड़ होना बताया, जिस पर पुलिस ने ट्रक कंटेनर को बैंक किया तो कंटेनर के अंदर 40 कट्टों में 300 प्लास्टिक की थैलियों में टैप से पैकिंग 600

रेलकर्मियों ने अधीक्षक के रजिस्टर से आर्मी की सूचनाएं पाक भेजी थी

जयपुर इंटेलीजेंस की टीम रेल कर्म भवानी सिंह को लेकर महाजन पहुंची और खानबीन की

बीकानेर, (निर्स)। महाजन रेलवे स्टेशन पर तैनात भवानी सिंह ने अधीक्षक के रजिस्टर से सेना की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की और पाकिस्तान भेजी थी। उसने आईएसआई से अपने दोस्तों के खाते में रुपए भी मंगवाए थे। जयपुर इंटेलीजेंस की टीम उस लेकर महाजन पहुंची और खानबीन की।

हनीट्रेप का शिकार होकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले भवानी सिंह को पता था कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक के पास सेना के महत्वपूर्ण सूचनाएं आती हैं, जिसे रजिस्टर में इंद्राज किया जाता है। उसने अधीक्षक के रजिस्टर से सेना के लेटर और

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले भवानी सिंह ने पाक को सूचनाएं भेजने के बदले आईएसआई से रुपए भी लिए। अपने दोस्तों के खाते में भी रुपए

मंगवाए। जयपुर इंटेलीजेंस की टीम बुधवार को उसे लेकर महाजन पहुंची और स्टेशन अधीक्षक और भवानी सिंह के दोस्तों से पूछताछ की। रेलवे स्टेशन पर वह मौका भी तस्वीर किया जहां से भवानी सिंह ने आर्मी और उसके उपकरणों की फोटो खींचकर पाकिस्तान भेजी थी। उसके सरकारी क्वार्टर की भी तलाशी ली गई। सायंकाल इंटेलीजेंस की टीम भवानी सिंह को लेकर जयपुर रवाना हो गई। उसे सात मार्च को जयपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पाक युवती निमी ने भवानी सिंह को हनीट्रेप किया और उससे गुप्त सूचनाएं हासिल करने लगी। करीब डेढ़ साल से दोनों संपर्क में थे।

तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट की जांच बीकानेर तक पहुंची

बीकानेर, (निर्स)। देश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट की जांच के मामले में तिरुपति की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बीकानेर पहुंची है। टीम ने कोयला गली स्थित धी फर्म पर छापा मारते हुए सघन जांच-पड़ताल की। इस दौरान फर्म में रखे धो के टीन से सैपल लिया गया। इन सैपल की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीकानेर से भेजा गया धी मिलावट था या नहीं।

■ तिरुपति की एसआईटी टीम ने धी का सैपल लिया. फर्म पर मारा छापा

होने की जानकारी मिली तो धी के नमूने लेने ये टीम बीकानेर पहुंची। आरोप लगाया गया कि धी बीकानेर से जिस ब्रांड का भेजा गया था, उसमें मिलावट की गई। इन्हीं शिकायतों के आधार पर एसआईटी ने यह कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान यह के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहरभर में इस छापेमारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

गोवंश का कटा सिर मिलने पर गोभक्तों में रोष

जोधपुर, (कासं)। माता का थान क्षेत्र में बछड़े (गोवंश) का कटा हुआ सिर मिलने के खिलाफ गोभक्तों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही गोवंश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर्वजनिक करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग का ज्ञापन सौंपा। गोभक्त रोकन चौधरी ने बताया कि गाय के बछड़े का कटा हुआ शव मिलने के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर जतना भी भारी आक्रोश व्यक्त है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है और ना ही गोवंश की

पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर्वजनिक की जा रही है। माता का थान थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गोभक्तों ने पुनः मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाने की भी मांग की है। मांगें नहीं मानने पर 48 घंटे के बाद गो भक्तों ने महापड़ाव की चेतावनी भी दी है। इस दौरान गोभक्त दयालराम प्रजापत, सौरभ आचार्य, एडवोकेट राकेश रूपाणिया, सचिन आचार्य, रविन्द्रसिंह पंवार, मनीषसिंह राठी, कपिल सिंह आदि मौजूद रहे।

नाबालिग से रेप का फरार आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निर्स)। पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की पदपुर और लालगढ़ जटान पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 5 साल से फरार चल रहा था।

हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मामला 2020 का है, आरोपी ने लालगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग का अपहरण किया था। पीड़िता और उसके पिता के बयान पर केस दर्ज किया गया था। तब से आरोपी फरार चल रहा था। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी में पदपुर थाने के कॉन्स्टेबल गंगाराम की अहम भूमिका रही। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त उदयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0294-2940419 E-mail - secrite.uda.phed@rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एसई/उदय/अधि-विभा/2024-25/7804 दिनांक 27/02/25

निविदा सूचना संख्या 58-60/2024-25
जन स्वास्थ्य अधीक्षण विभाग वृत्त उदयपुर की निविदा संख्या 58-60/2024-25 आर्म्भित की गई थी दिनांक 10.03.2025 तक प्राप्त की जावेगी। निविदाओं का विस्तृत विवरण राज्य सरकार के उपायन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> and <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।

NIB Code PHE2425A6898
UBN No. PHE2425WSRC10662 PHE2425WSRC10664
PHE2425WSRC10665

अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त उदयपुर
DIPR/C/2956/2025

राजस्थान स्टेट माईन्स एंड लिक्विड लिमिटेड
(राजस्थान स्टेट माईन्स एंड लिक्विड लिमिटेड, 8, डी.ए. रोड, जालोर, राजस्थान-342001 (INDIA))
फोन नं. (0291) 251001/251002/251003/251004/251005/251006/251007/251008/251009/251010/251011/251012/251013/251014/251015/251016/251017/251018/251019/251020/251021/251022/251023/251024/251025/251026/251027/251028/251029/251030/251031/251032/251033/251034/251035/251036/251037/251038/251039/251040/251041/251042/251043/251044/251045/251046/251047/251048/251049/251050/251051/251052/251053/251054/251055/251056/251057/251058/251059/251060/251061/251062/251063/251064/251065/251066/251067/251068/251069/251070/251071/251072/251073/251074/251075/251076/251077/251078/251079/251080/251081/251082/251083/251084/251085/251086/251087/251088/251089/251090/251091/251092/251093/251094/251095/251096/251097/251098/251099/251100/251101/251102/251103/251104/251105/251106/251107/251108/251109/251110/251111/251112/251113/251114/251115/251116/251117/251118/251119/251120/251121/251122/251123/251124/251125/251126/251127/251128/251129/251130/251131/251132/251133/251134/251135/251136/251137/251138/251139/251140/251141/251142/251143/251144/251145/251146/251147/251148/251149/251150/251151/251152/251153/251154/251155/251156/251157/251158/251159/251160/251161/251162/251163/251164/251165/251166/251167/251168/251169/251170/251171/251172/251173/251174/251175/251176/251177/251178/251179/251180/251181/251182/251183/251184/251185/251186/251187/251188/251189/251190/251191/251192/251193/251194/251195/251196/251197/251198/251199/251200/251201/251202/251203/251204/251205/251206/251207/251208/251209/251210/251211/251212/251213/251214/251215/251216/251217/251218/251219/251220/251221/251222/251223/251224/251225/251226/251227/251228/251229/251230/251231/251232/251233/251234/251235/251236/251237/251238/251239/251240/251241/251242/251243/251244/251245/251246/251247/251248/251249/251250/251251/251252/251253/251254/251255/251256/251257/251258/251259/251260/251261/251262/251263/251264/251265/251266/251267/251268/251269/251270/251271/251272/251273/251274/251275/251276/251277/251278/251279/251280/251281/251282/251283/251284/251285/251286/251287/251288/251289/251290/251291/251292/251293/251294/251295/251296/251297/251298/251299/251300/251301/251302/251303/251304/251305/251306/251307/251308/251309/251310/251311/251312/251313/251314/251315/251316/251317/251318/251319/251320/251321/251322/251323/251324/251325/251326/251327/251328/251329/251330/251331/251332/251333/251334/251335/251336/251337/251338/251339/251340/251341/251342/251343/251344/251345/251346/251347/251348/251349/251350/251351/251352/251353/251354/251355/251356/251357/251358/251359/251360/251361/251362/251363/251364/251365/251366/251367/251368/251369/251370/251371/251372/251373/251374/251375/251376/251377/251378/251379/251380/251381/251382/251383/251384/251385/251386/251387/251388/251389/251390/251391/251392/251393/251394/251395/251396/251397/251398/251399/251400/251401/251402/251403/251404/251405/251406/251407/251408/251409/251410/251411/251412/251413/251414/251415/251416/251417/251418/251419/251420/251421/251422/251423/251424/251425/251426/251427/251428/251429/251430/251431/251432/251433/251434/251435/251436/251437/251438/251439/251440/251441/251442/251443/251444/251445/251446/251447/251448/251449/251450/251451/251452/251453/251454/251455/251456/251457/251458/251459/251460/251461/251462/251463/251464/251465/251466/251467/251468/251469/251470/251471/251472/251473/251474/251475/251476/251477/251478/251479/251480/251481/251482/251483/251484/251485/251486/251487/251488/251489/251490/251491/251492/251493/251494/251495/251496/251497/251498/251499/251500/251501/251502/251503/251504/251505/251506/251507/251508/251509/251510/251511/251512/251513/251514/251515/251516/251517/251518/251519/251520/251521/251522/251523/251524/251525/251526/251527/251528/251529/251530/251531/251532/251533/251534/251535/251536/251537/251538/251539/251540/251541/251542/251543/251544/251545/251546/251547/251548/251549/251550/251551/251552/251553/251554/251555/251556/251557/251558/251559/251560/251561/251562/251563/251564/251565/251566/251567/251568/251569/251570/251571/251572/251573/251574/251575/251576/251577/251578/251579/251580/251581/251582/251583/251584/251585/251586/251587/251588/251589/251590/251591/251592/251593/251594/251595/251596/251597/251598/251599/251600/251601/251602/251603/251604/251605/251606/251607/251608/251609/251610/251611/251612/251613/251614/251615/251616/251617/251618/251619/251620/251621/251622/251623/251624/251625/251626/251627/251628/251629/251630/251631/251632/251633/251634/251635/251636/251637/251638/251639/251640/251641/251642/251643/251644/251645/251646/251647/251648/251649/251650/251651/251652/251653/251654/251655/251656/251657/251658/251659/251660/251661/251662/251663/251664/251665/251666/251667/251668/251669/251670/251671/251672/251673/251674/251675/251676/251677/251678/251679/251680/251681/251682/251683/251684/251685/251686/251687/251688/251689/251690/251691/251692/251693/251694/251695/251696/251697/251698/251699/251700/251701/251702/251703/251704/251705/251706/251707/251708/251709/251710/251711/251712/251713/251714/251715/251716/251717/251718/251719/251720/251721/251722/251723/251724/251725/251726/251727/251728/251729/251730/251731/251732/251733/251734/251735/251736/251737/251738/251739/251740/251741/251742/251743/251744/251745/251746/251747/251748/251749/251750/251751/251752/251753/251754/251755/251756/251757/251758/251759/251760/251761/251762/251763/251764/251765/251766/251767/251768/251769/251770/251771/251772/251773/251774/251775/251776/251777/251778/251779/251780/251781/251782/251783/251784/251785/251786/251787/251788/251789/251790/251791/251792/251793/251794/251795/251796/251797/251798/251799/251800/251801/251802/251803/251804/251805/251806/251807/251808/251809/251810/251811/251812/251813/251814/251815/251816/251817/251818/251819/251820/251821/251822/251823/251824/251825/251826/251827/251828/251829/251830/251831/251832/251833/251834/251835/251836/251837/251838/251839/251840/251841/251842/251843/251844/251845/251846/251847/251848/251849/251850/251851/251852/251853/251854/251855/251856/251857/251858/251859/251860/251861/251862/251863/251864/251865/251866/251867/251868/251869/251870/251871/251872/251873/251874/251875/251876/251877/251878/251879/251880/251881/251882/251883/251884/251885/251886/251887/251888/251889/251890/251891/251892/251893/251894/251895/251896/251897/251898/251899/251900/251901/251902/251903/251904/251905/251906/251907/251908/251909/251910/251911/251912/251913/251914/251915/251916/251917/251918/251919/251920/251921/251922/251923/251924/251925/251926/251927/251928/251929/251930/251931/251932/251933/251934/251935/251936/251937/251938/251939/251940/251941/251942/251943/251944/251945/251946/251947/251948/251949/251950/251951/251952/251953/251954/251955/251956/251957/251958/251959/251960/251961/251962/251963/251964/251965/251966/251967/251968/251969/251970/251971/251972/251973/251974/251975/251976/251977/251978/251979/251980/251981/2